

## अधिसूचना

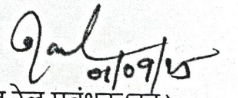
रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2025/E(W)/22/01/3 दिनांक 07.07.2025 एवं महाप्रबंधक(का.)/गोरखपुर का पत्र सं. का/207/समापक/आठ/पेंशन अदालत-2025 दिनांक 18.08.2025 के निर्देशानुसार दिनांक 15.12.2025 को पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो के पेंशन सम्बंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पेंशन अदालत-2025 का आयोजन होना है। इसी क्रम में वाराणसी मण्डल/पूर्वोत्तर रेलवे के सभी पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो को इस समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि वे अपनी पेंशन सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रतिवेदन इस सूचना के प्रकाशन के उपरान्त दिनांक 31.10.2025 तक, जिस कार्यालय से समापक भुगतान किया गया था, में निम्न प्रारूप पर जमा कर सकते हैं, पता- मण्डल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/ पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी पर भेजे -

### आवेदन का प्रारूप

- 1- आवेदक/आवेदिका का नाम -
- 2- भू.पू. कर्मचारी का नाम -
- 3- भू.पू. कर्मचारी का पदनाम -
- 4- भू.पू. कर्मचारी का कार्यस्थल -
- 5- भू.पू. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि -
- 6- बैंक विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड व बैंक का नाम) -
- 7- पी.पी.ओ. की छायाप्रति -
- 8- आधार कार्ड की छायाप्रति -
- 9- मोबाइल संख्या - ई.मेल आई.डी. -
- 10-पेंशन सम्बन्धी दावा -
- 11-अन्य विवरण जो प्रतिवेदन में देना चाहे -
- 12-उक्त सूचना रेलवे के वेबसाइट [www.ner.indianrailways.gov.in](http://www.ner.indianrailways.gov.in) पर देखी जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर

**नोट-** सभी अपेक्षित प्रपत्रों की छायाप्रति लगाना सुनिश्चित करें तथा आवेदन व संलग्नक 03 प्रतियों में देवे। दिनांक 31.10.2025 के बाद प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर पत्र व्यवहार का पूरा पता (पिन कोड सहित)।

  
(18) मण्डल रेल प्रबंधक(का.)  
वाराणसी  
दिनांक- 01.09.2025

सं.- ई/पीएन/207/सेटिल/पेंशन अदालत/2016/X